

अध्याय I: परमाणु ऊर्जा विभाग

इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

1.1 अग्रिम कर के कम/अधिक भुगतान के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी ने गलत ढंग से अनुमानित लाभ की गणना की और परिणामस्वरूप अग्रिम कर का अधिक/कम भुगतान हुआ जिसके कारण ₹ 5.34 करोड़ की हानि हुई

आयकर (आईटी) अधिनियम में प्रावधान है कि कंपनी को अपनी आय का अनुमान बनाना है और प्रति वर्ष 15, 45, 75 और 100 प्रतिशत की चार किस्तों क्रमशः जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में अग्रिम कर का भुगतान करना है। आईटी विभाग अग्रिम कर के कम भुगतान पर शास्ति प्रभारित करता है और अगले वित्त वर्ष के अप्रैल से प्रतिदाय पर छः प्रतिशत का साधारण ब्याज अनुमत करता है। यह प्रबन्धन की जिम्मेवारी है कि आयकर का अनुमान सही ढंग से बनाए ताकि अग्रिम कर के कम भुगतान पर शास्ति से बचा जा सके और अग्रिम कर के अधिक भुगतान पर ब्याज की हानि से बचा जा सके।

वित्तीय वर्ष 2007-12 के लिए इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ईसीआईएल द्वारा अदा किया गया अग्रिम कर वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान देय आयकर से बहुत कम था और वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान वास्तव में देय आयकर से बहुत अधिक था जैसा कि नीचे दिया गया है:-

निर्धारण वर्ष	जमा किया गया अग्रिम कर (₹)	देय आयकर (₹)	भुगतान किया गया (-)/अधिक आयकर (₹)	अदा किये गये कम/अधिक आयकर की प्रतिशतता (₹ करोड़ में)
2007-08	31.09	57.95	(-) 26.86	46
2008-09	45.24	58.15	(-) 12.91	22
2009-10	50.00	12.98	37.02	285
2010-11	17.75	9.76	7.99	82
2011-12	13.50	शून्य	13.50

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने गलत ढंग से अनुमानित लाभ की गणना की और परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2011-12 में अग्रिम कर का कम/अधिक भुगतान हुआ। परिणामतः कम्पनी ने (i) अग्रिम कर के कम भुगतान पर जमा पर अर्जित ब्याज से (ii) आयकर विभाग से अदायगी पर ₹ 5.34 करोड़ की राशि के अर्जित ब्याज की तुलना में उधारों के लिये अधिक भुगतान पर उच्चतर दर पर ब्याज अदा किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, जो परिहार्य था:

(₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	कर/उधारों पर भुगतान किया गया ब्याज	जमा/प्रतिदाय पर अर्जित ब्याज	ब्याज की विभेदक हानि
2007-08 से 2008-09 (कर का कम भुगतान)	3.58	2.72	0.86
2009-10, 2010-11 और 2011-12 (कर का अधिक भुगतान)	11.55	7.07	4.48
जोड़			5.34

लेखापरीक्षा ने पाया कि आय का गलत अनुमान निम्न कारणों से था:-

- प्रत्येक तिमाही के लिए अग्रिम कर का अनुमान बनाने के लिए कोई दस्तावेज़ी क्रियाविधि/प्रणाली नहीं थी।
- कर-योग्य आय का अनुमान समग्र वित्तीय वर्ष के लिए एमओयू लक्ष्यों और बजट प्राक्कलनों पर आधारित था। वास्तविक आय परिवर्तित थी परन्तु अनुमानित करयोग्य आय की प्रत्येक तिमाही के लिए पुनः गणना नहीं की गई जिसके कारण कर का अधिक भुगतान हुआ।
- पूर्व तिमाहियों के वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के बाद की अवधि के लिए प्रत्येक तिमाही में करयोग्य आय को और अनुमानित लाभ को तदनुसार फिर से देखने की कोई प्रणाली नहीं थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति को भविष्य के मार्ग-दर्शन के लिए स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2011) कि कम्पनी द्वारा गलत करयोग्य आय की गणना करने के निम्न कारण थे:-

- कम्पनी मूलतः एक आर एण्ड डी यूनिट है और ग्राहक विशिष्टताओं/अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक आदेश स्वयं में अलग स्वरूप का था। अतः इन परियोजनाओं से अंशदान का अनुमान लगाना कठिन था। आदेश प्राप्त करने में अस्थिरता के कारण लाभ का अनुमान लगाना भी कठिन था।
- वर्ष 2008-09 के दौरान कर्मचारियों को, 1 जनवरी 2007 से वेतन संशोधन के कारण भुगतान योग्य बकाया के लिए प्रावधान में भारी वृद्धि हुई। डीपीई के का. ज्ञा पर आधारित वर्ष 2006-07 (3 माह के लिए), 2007-08 और 2008-09 के लिए उक्त प्रावधान किया गया था जिसके परिणामस्परूप वर्ष 2008-09 के लिए निम्नतर लाभ हुआ। जैसा कि बताया गया वेतन संशोधन बकाया के लिए प्रावधान आयकर विभाग द्वारा अनुमत किया गया था, उसे अग्रिम कर प्रयोजनों के लिए करयोग्य आय की गणना करते समय जोड़ा गया था।
- वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के कारण अंशदान स्तर 32 प्रतिशत तक गिर गया और इसने वर्ष के अन्त में सामग्री में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन दर्शाया।

- वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी ने अधिकारियों और कर्मकारों को फ्रिन्ज लाभों को कार्यान्वित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान हुआ। ब्याज व्यय में भी ₹ 5 करोड़ की सीमा तक अनुमानों की तुलना में वृद्धि हुई। 2009-10 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर व्यय अनुमानित था, तथापि विनिर्माण, प्रशासन ओर विक्रय व्यय में वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से लगभग ₹ 25 करोड़ की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप लाभ में गिरावट हुई।
- उपर्युक्त घटकों जिसका अग्रिम कर (वित्तीय वर्ष 2010-11) के चौथी किस्त के भुगतान के समय क्रिस्टलीकरण किया जाता है, पर विचार करते हुए अनुमानित कर-योग्य आय की समीक्षा की गई और कम्पनी ने 15 मार्च या 31 मार्च 2011 को अग्रिम कर का कोई और भुगतान नहीं किया था।

निम्न के कारण उत्तर तर्कसंगत नहीं है:-

- ये आदेश ग्राहक आधारित विशिष्टताएं हैं न कि मूल आर एण्ड डी परियोजनाओं के रूप में। आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए भी उनके करयोग्य लाभों की गणना करते समय कर राहत पात्र आर एण्ड डी कार्य कलापों पर अर्हकारी राजस्व लागत के लिए दी जाती है। तथ्यतः कम्पनी द्वारा करयोग्य आय के अनुमान की गणना एमओयू लक्ष्यों और समग्र वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों पर आधारित था। यद्यपि वास्तविक आय भिन्न थी, अनुमानित करयोग्य आय प्रत्येक तिमाही के लिए फिर से नहीं देखी जाती थी जिसके कारण कर का अधिक भुगतान हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि सामग्री खपत ₹ 490 करोड़ (अनुमानों) से 23.3 प्रतिशत (₹ 604.17 करोड़ (वास्तविक)) बढ़ गई जिसका कर पूर्व लाभ पर भारी प्रभाव था। अन्य व्यय में केवल 2.18 प्रतिशत का अन्तर था जो बिल्कुल सीमान्त था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अनुसार प्रावधान अनुमत हैं जब तक कि ऐसी राशि रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख से पहले वास्तव में अदा की हो। अतः तिमाही आधार पर सभी प्रावधानों और व्यय, जो आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हैं, को हिसाब में ले कर सही ढंग से करयोग्य आय का अनुमान बनाने में यह प्रावधान की स्पष्ट चूक है।
- सभी चार तिमाहियों की वित्तीय वर्ष 2009-10 (नि.व.2010-11) के लिए सामग्री खपत वास्तविक ₹ 712.75 करोड़ के प्रति ₹ 689.40 करोड़ ली गई। इसी प्रकार वर्ष के दौरान बिक्री में घटाव था। परन्तु कम्पनी ने इन इनपुटों के आधार पर चौथी तिमाही तक अपने अनुमान संशोधित नहीं किये और इसलिए करपूर्व लाभ गलत ढंग से अनुमानित किया गया जिसके परिणामस्वरूप अग्रिम कर का अधिक भुगतान हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 43बी के अधीन चौथी तिमाही तक किये गये व्यय के आधार पर अनुज्ञेय व्यय का अनुमान बनाने में यह प्रबन्धन द्वारा स्पष्ट चूक थी। यद्यपि करयोग्य आय शून्य थी, कम्पनी ने ₹ 13.50 करोड़ का अग्रिम कर अदा किया।

इस प्रकार प्रवृत्तियों पर उचित विचार के बाद यथार्थवादी इनपुटों पर आधारित करयोग्य आय की गणना के लिए एक सुपरिभाषित प्रणाली के अभाव में अग्रिम कर गलत ढंग से निर्धारित किया गया जिससे ₹ 5.34 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

1.2 क्षति दायित्व अवधि के अन्तर्गत दावा स्वीकार न होने के कारण परिहार्य व्यय

जेनरेटर को ट्रिप करने में विफलता के परिणामस्वरूप स्टेटर को क्षति होने और पूर्तिकर्ता द्वारा दोष दायित्व के अन्तर्गत दावा स्वीकार न करने से ₹ 31.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) ने मई 2007 में ₹ 1325.50 करोड़ की लागत से 220 एमडब्ल्यूई केगा 3 जेनरेटिंग यूनिट को संस्थापित किए। यूनिट ने 26 अगस्त 2007 को टरबाइन जेनरेटर (टीजी) में दोष के कारण बिजली उत्पन्न करना बन्द कर दिया। यूनिट 31 मार्च 2008 तक बन्द पड़ी रही।

कम्पनी और पूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई एक संयुक्त जाँच से पता चला (अक्तूबर 2007) कि रोटोर के एक बोल्ट की विफलता के कारण स्टेटर के कूलिंग सिस्टम में खराबी के परिणामस्वरूप कन्डक्टरों द्वारा स्टेटर के पानी प्रवाह में रूकावट हुई और जेनरेटर केसिंग से स्टेटर वाटर सिस्टम में से हाईड्रोजन निकलने लगा। जबकि स्टेटर में धीमे पानी के बहाव को कन्ट्रोल रूम में अलार्म दर्शा रहा था, आटो ट्रिप उपकरण चालू नहीं हुआ। जिस समय तक परिचालन कार्मिक जोकि हाईड्रोजन निकलने की समस्या को ठीक कर रहा था, को वास्तविक स्थिति का पता चलता, ओवरहीटिंग के कारण स्टेटर कन्डक्टरों के इनसुलेशन की क्षति हो चुकी थी और जिसके कारण बाद में टीजी में ट्रिपिंग हो गई।

चूंकि पूर्तिकर्ताओं द्वारा मरम्मत की लागत (यूएसडी 6.171 मिलियन) स्पेयर सहित खरीद मूल्य से अधिक थी (यूएसडी 4.80 मिलियन) कम्पनी ने क्षतिग्रस्त स्टेटर को बदलने का निर्णय लिया (फरवरी 2008)। तदनुसार, एक नया क्रय आदेश दिया गया। इसी दौरान ₹ 0.86 करोड़ की अतिरिक्त लागत से कैगा 4 का स्टेटर कैगा 3 के क्षतिग्रस्त स्टेटर को बदलने के लिए प्रयोग किया गया। मार्च 2009 में ₹ 30.22 करोड़ की कुल लागत से एक नया स्टेटर प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि क्षतिग्रस्त स्टेटर दोष देयता अवधि के अन्तर्गत था, कम्पनी को बिना किसी लागत के मरम्मत के दावे को पूर्तिकारों द्वारा इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया गया (अक्तूबर 2007) कि यदि जेनरेटर को रोटोर घटकों की विफलता और स्टेटर कन्डक्टरों द्वारा पानी के बहाव से हानि के बाद समय से या तो आटोमेटिक तरीके से या परिचालन द्वारा ट्रिप कर दिया जाता तो स्टेटर को क्षति नहीं पहुंचती। घटना प्रारंभ हाने से 23 मिनट तक जेनरेटर चलता रहा जिसके परिणामस्वरूप स्टेटर अर्थ फाल्ट पर टीजी की ट्रिपिंग हो गई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर/नवम्बर 2011) कि:

- खतरनाक प्रकृति का हाने के कारण परिचालक कार्मिकों ने स्टेटर में हाईड्रोजन प्रेशर में उतार चढ़ाव को प्राथमिकता प्रदान की थी।

- जेनरेटर में विफलता कई कारणों से हुई इसलिए किसी एकल ऐजेंसी को उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं था और उत्तरदायित्व बांटने के लिए बातचीत से निपटारा किया गया। जेनरेटर निर्माता ने अन्य परियोजनाओं के रोटोर और सॉफ्टवेयर में संशोधन कर कम्पनी को उनकी निःशुल्क पूर्ति की।
- आने वाली अन्य परियोजनाओं जिनका पूर्तिकार वही था की अनुसूची के संभावित विघटन पर भी विचार किया गया।
- नए स्टेटर की लागत परियोजना लागत का एक छोटा प्रतिशत था, जिसकी गणना दर सूची के परिकलन के समय की गई थी और क्षतिग्रस्त स्टेटर की मरम्मत करने का निर्णय लिया गया था जिससे उसे बीमा स्पेयर के रूप में रखा जा सके।

उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:-

- प्रबन्धन ने निदेशक बोर्ड को बताया था (मार्च 2008) कि यदि जेनरेटर को स्वचालन या परिचालक द्वारा समय पर ट्रिप कर दिया जाता तो स्टेटर को क्षति नहीं पहुंचती।
- एक विफलता के पश्चात् अन्य परियोजनाओं के लिए संशोधित रोटोर और सॉफ्टवेयर की पूर्ति सामान्यतया पूर्तिकार से अपेक्षित होती है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
- उसी पूर्तिकार द्वारा आने वाली अन्य परियोजनाओं की अनुसूची के संभावित विघटन के साथ मामले को जोड़ना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि पूर्तिकार उन संविदाओं के अन्तर्गत संविदात्मक रूप से उपकरणों की पूर्ति की दायी था।
- दर सूची में लागत सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप दो बार स्टेटर की लागत का पूंजीकरण हुआ। इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त स्टेटर की मरम्मत और उसे बीमा स्पेयर के रूप में प्रयोग करने का निर्णय समझ से बाहर था क्योंकि उसे बदलने का प्रांरभिक निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि मरम्मत लागत बदलने की लागत से अधिक थी।

इस प्रकार समय पर जेनरेटर को ट्रिप करने में विफलता से दोष दायित्व के अन्तर्गत दावा स्वीकार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला अक्टूबर 2011 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2012)।